

रेडियो/टेलीविज़न
लाइसेंस

घरेलू/रियायती

**RADIO/TELEVISION
LICENCE**

DOMESTIC/CONCESSIONAL



भारतीय डाक-ता

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS

तारीख-मोहर
Date stamp

स्थानान्तरित दिनांक
Transferred on

को
to

डाकघर
P. O.

पोस्टमास्टर/Postmaster

तारीख-मोहर
Date stamp

स्थानान्तरित दिनांक
Transferred on

को
to

डाकघर
P. O.

पोस्टमास्टर/Postmaster

श्री श्रीमती
Transferred to Shri/Smt.

निवास-स्थान
at

के नाम दिनांक
w.e.f.

को बदला गया।

तारीख-मोहर
Date stamp

पोस्टमास्टर/Postmaster

श्री/श्रीमती
Transferred to Shri/Smt.

निवास-स्थान
at

के नाम दिनांक
w.e.f.

को बदला गया।

तारीख-मोहर
Date stamp

पोस्टमास्टर/Postmaster

इन्व्यू. टी०-104

WT-104 (भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत जारी)

(ISSUED UNDER THE INDIAN TELEGRAPH ACT 1885)

रजिस्ट्री संख्या
Registration No.

6254. 2770

1. लाइसेंसधारक का
नाम व पता
Name and address
of licensee

Shri. Ch. Venkats. Warlu
Devara Balli
Shri. Balu. S.

2. रिसेवर का स्थान
Location of the Receiver

Prakasa

3. मेक/Make

माडल/Model

चेसिस संख्या Chassis No.

Relco. Tabi

168916.

नारायणगुडा
NARAYANGUDA

Parsh


4. रजिस्ट्री डाकघर
Office of Regn.

5. पहले/अतिरिक्त सेट के लाइसेंस की
रजिस्ट्री संख्या और तारीख

Regn. No. and date of issue of
the licence in respect of the
first additional set

पोस्टमास्टर/Postmaster

जारी करने की तारीख
Date of issue



| | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|-------------|
| 11 शुल्क Fee | रु० अधिभार Rs. Surcharge | रु० सामने दी गई तारीख तक के लिए जारी Issued for the period ending | 31-12-19 76 |
| | | | |



जारी करने की तारीख / Date of issue पोस्टमास्टर / Postmaster

| | | | |
|---------------------|-------------------|--|----------|
| 15P शुल्क Fee | रु० अधिभार Rs. | रु० सामने दी गई तारीख तक नवीकरण Renewed for the period ending | 31-12-19 |
| | | | |



Affix Stamps Here

नवीकरण की तारीख / Date of Renewal पोस्टमास्टर / Postmaster

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--|----------|
| शुल्क Fee | रु० अधिभार Rs. Surcharge | रु० सामने दी गई तारीख तक नवीकरण Renewed for the period ending | 31-12-19 |
| | | | |

यहां टिकट लगाइए
Affix Stamps Here

नवीकरण की तारीख / Date of Renewal पोस्टमास्टर / Postmaster

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--|----------|
| शुल्क Fee | रु० अधिभार Rs. Surcharge | रु० सामने दी गई तारीख तक नवीकरण Renewed for the period ending | 31-12-19 |
| | | | |

यहां टिकट लगाइए
Affix Stamps Here

नवीकरण की तारीख / Date of Renewal पोस्टमास्टर / Postmaster

| | | | |
|--------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| शुल्क Fee | रु० अधिभार Rs. Surcharge | रु० तक नवीकरण Rs. Renewed for the period ending | सामने दी गई तारीख 31-12-19 |
|--------------|-----------------------------|---|-------------------------------|

यहां टिकट लगाइए
Affix Stamps Here

नवीकरण की तारीख/Date of Renewal पोस्टमास्टर/Postmaster

| | | | |
|--------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| शुल्क Fee | रु० अधिभार Rs. Surcharge | रु० तक नवीकरण Rs. Renewed for the period ending | सामने दी गई तारीख 31-12-19 |
|--------------|-----------------------------|---|-------------------------------|

यहां टिकट लगाइए
Affix Stamps Here

नवीकरण की तारीख/Date of Renewal पोस्टमास्टर/Postmaster

| | | | |
|--------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| शुल्क Fee | रु० अधिभार Rs. Surcharge | रु० तक नवीकरण Rs. Renewed for the period ending | सामने दी गई तारीख 31-12-19 |
|--------------|-----------------------------|---|-------------------------------|

यहां टिकट लगाइए
Affix Stamps Here

नवीकरण की तारीख/Date of Renewal पोस्टमास्टर/Postmaster

| | | | |
|--------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| शुल्क Fee | रु० अधिभार Rs. Surcharge | रु० तक नवीकरण Rs. Renewed for the period ending | सामने दी गई तारीख 31-12-19 |
|--------------|-----------------------------|---|-------------------------------|

यहां टिकट लगाइए
Affix Stamps Here

नवीकरण की तारीख/Date of Renewal पोस्टमास्टर/Postmaster

1. यह लाइसेंस साधारण अभिग्रहण के लिए प्रसारित कार्यक्रम तथा संदेश प्रतिग्रहण के लिए इसमें वर्णित बेतार संग्राही उपकरण का प्रयोग करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। किसी भी दशा में ऐसे उपकरण को, किसी कारोबार के परिसरों में या किसी ऐसे कमरे में जो कि आवास तथा कारोबार दोनों प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से प्रयोग में आ रहा हो, या किसी ऐसे लाभ के लिए जिसके लिए वाणिज्यिक प्रसारण अभिग्राही लाइसेंस अपेक्षित हो, नहीं चलाया जा सकेगा। जहां लाइसेंस किसी व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाता है, वहां लाइसेंस इस शर्तके अधीन होगा और लाइसेंस प्राप्त उपकरण का प्रयोग केवल निजी तथा घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा और किसी भी दशा में, इस उपकरण का प्रयोग सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जा सकेगा।

2. महानिदेशक, डाक-तार द्वारा इस निमित्त सम्यक्तः प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर इस लाइसेंस को निरीक्षणार्थ पेश करना होगा और सभी युक्तियुक्त समयों पर लाइसेंस प्राप्त उपकरण का निरीक्षण ऐसे अधिकारी द्वारा करने दिया जाएगा।

3. लाइसेंसधारक के पते संबंधी किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बारे में इस लाइसेंस के रजिस्ट्रीकरण डाकघर को तुरन्त ही सूचित करना होगा तथा उसकी प्रविष्टियों में संशोधन कराना होगा।

4. लाइसेंस प्राप्त उपकरण के स्थान के बारे में लाइसेंसधारक के विवेकानुसार अस्थायी तौर पर परिवर्तन किया जा सकेगा, किन्तु

किसी एक समय में उस परिवर्तन की अवधि के तीन महीनों से अधिक के लिए बढ़ जाने की संभावना हो, तो रजिस्ट्रीकरण डाकघर को सूचित करना होगा तथा लाइसेंस में प्रविष्टि को संशोधित कराना होगा। यदि स्थान सम्बन्धी परिवर्तन होने से रजिस्ट्रीकरण डाकघर से भिन्न किसी डाकघर में लाइसेंस के नवीकरण की सम्भाव्यतः आवश्यकता होती है, तो ऐसे परिवर्तन के पश्चात् लाइसेंस को तुरन्त उस डाकघर को अन्तर्गत करना होगा जहां ऐसे दो डाकघरों में से किसी पर आवेदन देकर, उसे नवीकृत करने की प्रस्थापना की गई हो।

5. यह लाइसेंस उसमें दर्शित वर्ष के 31 दिसम्बर को समाप्त होता है और इसका नवीकरण उस डाकघर में जहां नवीकरण के समय वह रजिस्ट्रीकृत हो, अगले जनवरी मास से डाकघर के कार्यकरण के अन्तिम दिन तक कराना होगा। लाइसेंस का नवीकरण समय पर न कराने से लाइसेंसधारक भारतीय तार-यंत्र अधिनियम, 1885 के अधीन दण्ड के लिए दायी हो जाएगा। किसी वैध लाइसेंस के बिना किसी बेतार संग्राही उपकरण को कच्चे में रखना भी भारतीय बेतार यान्त्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है।

6. यदि इस लाइसेंस की अवधि के दौरान लाइसेंस प्राप्त उपकरण मरम्मत कराए जाने के लिए अयोग्य हो जाता है या स्थायी रूप से खराब हो जाता है, तो इसके रद्दकरण की कार्यवाही हेतु रजिस्ट्रीकरण डाकघर को तुरन्त ही सूचित करना होगा। यदि रद्द-

करण आदेश कर दिया जाता है तो लाइसेंस को नवीकृत कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु ऐसे रद्दकरण के आधार पर वर्ष के शेष भाग के लिए लाइसेंस शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी। लाइसेंस की समाप्ति से पहले रजिस्ट्रीकरण डाकघर को सूचित करने, असफल रहने से, लाइसेंस को नवीकृत कराने की जिम्मेदारी से लाइसेंसधारक मुक्त नहीं होगा।

7. लाइसेंस प्राप्त उपकरण का प्रयोग लाइसेंसधारक या उसके कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान या पते पर किया जा सकेगा। लाइसेंसधारक की मृत्यु हो जाने की दशा में इस लाइसेंस की अवधि के शेष भाग के दौरान इसके बारे में यह माना जाएगा कि उसमें मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान या पते पर किया गया लाइसेंस प्राप्त उपकरण का प्रयोग भी आ जाता है। नवीकरण के समय लाइसेंस को उस व्यक्ति के नाम अन्तरित किया जाएगा जिसके कब्जे में उपकरण है।

8. यह लाइसेंस उस दशा में इसमें वर्णित उपकरण के साथ अन्तर्णीय है जबकि इस उपकरण का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता है या उसे अन्यथा हस्तान्तरित कर दिया जाता है, परन्तु यह तब जब कि अन्तरणकर्ता या अन्तरिती द्वारा ऐसे विक्रय या अन्तरण से 7 दिन के अन्दर रजिस्ट्रीकरण डाकघर को इस प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया हो। लाइसेंस के अन्तरण के लिए अन्तरिती द्वारा आवेदन करने की दशा में अन्तरक से अन्तरिती के हक में

अन्तरण कराने के लिए एक सहमतिपत्र या आवेदन की अपेक्षा की जायेगी।

9. यदि कोई एरियल तार किसी टेलीग्राफ या टेलीफोन लाइन या ऊर्ध्वस्थ विद्युत तारों (इसमें बिजली का प्रकाश तथा ट्रामवे बेंतार सम्मिलित हैं) पर आरपार जाता है या उसके गिरने या उड़कर उसके ऊपर पड़ने की सम्भावना हो, तो सम्बद्ध विद्युत लाइन या लाइनों के स्वामी के युक्तियुक्त समाधानप्रद रूप में ऐसे तारों की रक्षा करनी होगी ताकि तार टूटने की दशा में कोई नुकसान होने से रोका जा सके।

10. लाइसेंसधारक साधारण अभिग्रहण के लिए प्रसारित कार्यक्रमों और संदेशों से भिन्न किसी प्रकार की प्रसारण सामग्री को, जो लाइसेंस प्राप्त उपकरण से प्राप्त होती है, भारत सरकार के सम्यक्तः प्राधिकृत अधिकारी या किसी सक्षम विधिक अधिकरण से भिन्न किसी व्यक्ति को न तो प्रकट करेगा और न ऐसा होने देगा या उसका किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं करेगा।

11. शर्त 10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लाइसेंसधारक या उसकी ओर से या उसकी अनुमति से या उसके संज्ञान से कोई अन्य व्यक्ति, लाइसेंस प्राप्त उपकरण के माध्यम से प्राप्त किये गए कार्यक्रमों तथा संदेशों को प्रेस में उद्धृत या प्रकाशित न कराएगा और न किन्हीं अन्य समरूप साधनों से उनको फैलाएगा।

12. यह लाइसेंस, लाइसेंसधारक को कोई भी ऐसा काम करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता है जो :—

- (क) किसी ऐसे कापीराइट का अधिलेखन करता हो जो लाइसेंस प्राप्त उपकरण के माध्यम से प्राप्त सामग्री के सम्बन्ध में विद्यमान हो, या
- (ख) ऐसे क्षेत्र में जिसमें लाइसेंस प्राप्त उपकरण की स्थापना की गई हो, संगीत वाले या अन्य कार्यक्रमों या शोरगुल को विनियमित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम के विरुद्ध हो ।

13. ऐसे सामुदायिक सेटों का जिनके लिए लाइसेंस शुल्क की रियायती दरों पर लाइसेंस दिए गए हैं प्रयोग केवल आकाशवाणी के स्टेशनों से प्रसारित कार्यक्रमों के लिए ही किया जाएगा ।

CONDITIONS

1. This licence permits the use of wireless receiving apparatus described herein for receiving programmes and messages transmitted for general reception. In no case can the apparatus be used in a business premises or in a room jointly used for residential and business purposes, or for gain, for which a Commercial Broadcast Receiver Licence is required. Where the licence is issued to an individual, the licence will be subject to this condition and the licensed apparatus shall be used only for private and domestic purposes and in no case can the apparatus be used in a public place.

2. This licence must be produced for inspection on demand by any officer duly authorised by the Director-General of Posts & Telegraphs in this behalf and the licensed apparatus shall also be open to inspection by such officer at all reasonable times.

3. Any change of address of the licensee must be promptly intimated to the Post Office of registration of this licence and the entries therein got amended.

4. The location of the licensed apparatus may be altered temporarily at the discretion of the licensee but the Post Office of registration must be informed of the change if the duration thereof is likely to exceed three months at any one time and the entry in the licence got amended. In case the change of location is likely to necessitate renewal of the licence in a post office other than the one of registration, the licence must be got transferred immediately after such change, to the post office at which it is proposed to be renewed, by applying at either of the two post offices.

5. This licence expires on the 31st December of the year shown therein and it must be renewed at the Post Office where it stands registered at the time of renewal on a date not later than the last post office working day in the month of January next. Failure to renew the licence in time will render the licensee liable for punishment under the Indian Telegraph Act, 1885. The possession of a wireless receiving apparatus without a valid licence is also a punishable offence under the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933.

6. If the licensed apparatus becomes irreparable or permanently out of order during the currency of this licence, the Post Office of registration must be informed of this immediately for taking action for its cancellation. The licence need not be renewed if cancellation is ordered but no part of the licence fee will be refunded on such cancellation. Failure to inform the Post Office of registration before the expiry of the licence will not absolve the licensee from his liability to renew the licence on expiry.

7. The licensed apparatus can be used by the licensee or the members of his household at the location or address specified. In the event of the death of the licensee, this licence will be regarded during the unexpired portion of its currency as covering the use of the licensed apparatus at the location or address specified herein by any member of the deceased's household. At the time of renewal, the licence shall be got transferred in the name of the person who has the apparatus in his possession.

8. This licence is transferable along with the apparatus described herein in case it is sold or otherwise transferred to another person provided an application for this purpose is made by the transferor or transferee to the Post Office of registration within 7 days from the date of such sale or transfer. In case of an application by the transferee for the transfer of a licence, a letter of consent

or an application for transfer in favour of the transferee from the transferor would be required for effecting the transfer.

9. An aerial which crosses over, or is liable to fall or to be blown upon any telegraph or telephone line or overhead power (including electric-lighting and tramway) wires must be guarded to the reasonable satisfaction of the owner of the power line or lines concerned so as to prevent any damage being done in the event of a break occurring.

10. The licensee shall not divulge or allow to be divulged to any person other than a duly authorised officer of the Government of India or a competent legal tribunal or make any use whatsoever of any broadcast material received by means of the licensed apparatus other than programmes and messages transmitted for general reception.

11. Notwithstanding anything contained in condition 10 the licensee or any other person either on behalf or by the permission or with the cognizance of the licensee shall not reproduce or publish in the press or disseminate by other similar means programmes and messages received by means of the licensed apparatus.

12. This licence does not authorise the licensee to do any act which is :-

- (a) an infringement of any copyright which may exist in the matter received by means of the licensed apparatus, or
- (b) contrary to any rule made by a competent authority regulating musical or other performances or noise in the area in which the licensed apparatus is established.

13. The Community sets licensed at the concessional rate of licence fee shall be used to listen to programmes broadcast from the Stations of All India Radio only.

सर्गादर्शन के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश

1. इस लाइसेंस का अगले वर्ष के लिए नवीकरण चालू वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है। नवम्बर-दिसम्बर

में भीड़ होने के कारण उससे बचने के लिए कृपया इस सुविधा का लाभ उठाइए।

2. आपके पास वैध लाइसेंस का होना आवश्यक है, भले ही आपका रेडियो या टेलीविजन सेट ताले में बन्द हो या अस्थायी तौर पर उसका उपयोग न किया जा रहा हो। यदि आवश्यक हो, तो सलाह के लिए कृपया समीपस्थ डाकघर से संपर्क स्थापित करें।

3. कृपया अपना लाइसेंस सख्या तथा उसका पंजीकरण किये गये डाकघर का नाम अपनी डायरी में नोट कर लें। इससे लाइसेंस के खो जाने पर उसकी दोहरी प्रति बनाने में सुविधा होगी।

4. अपेक्षित होने पर शीघ्र ही अपने लाइसेंस का अंतरण करा लें। नवीकरण वाले नवम्बर-दिसम्बर महीनों की प्रतीक्षा करते रहने से आप अपने लिए, साथ ही डाकघर के लिए असुविधा उत्पन्न कर रहे हैं।

5. यदि आप रेडियो या ट्रांजिस्टर सेट प्राप्त करने के लिए किसी भी विज्ञापित प्रश्नोत्तर-परीक्षा या इनामी प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा रखते हों तो डाक-तार विभाग निम्न बातों के लिए जिम्मेदार न होगा, यदि

- (क) विज्ञापक द्वारा आपका लाइसेंस न भेजा जाए,
- (ख) विज्ञापन वाले व्यापारी द्वारा देय लाइसेंस शुल्क से अधिक शुल्क की आपसे वसूली की जाए, और/या
- (ग) अन्यथा आप यह महसूस कर रहे हों कि आपको ठगा गया है।

SOME IMPORTANT POINTS FOR GUIDANCE

1. Renewal of this licence for the subsequent year is permissible at any time during the current year. Please use this facility to save yourself from the rush period of November and December.

2. Possession of a valid licence is necessary even when your radio or T.V. set is locked up or is not in use temporarily. Please contact the nearest Post Office for advice, if necessary.

3. Please note your licence number and its office of registration in your diary. This will facilitate issue of a duplicate licence in case of loss.

4. Please transfer your licence as soon as this is called for. You are creating problem for yourself and the Post Office by waiting to do so only during the renewal season of November—December.

5. If you are wanting to enter into any advertised quiz test or prize contest to win a radio or a transistor set the P. & T. Department will not be responsible if:—

- (a) the licence is not sent to you by the advertiser,
- (b) more licence fee has been charged by the advertising dealer than has been due, and/or
- (c) you feel cheated otherwise.